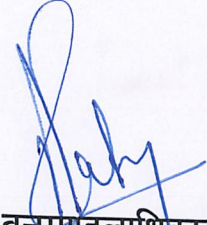


वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य हेतु कलचा ना. व. कक्ष क्रमांक 1142 रकबा 24.863 हे. में से 20.00 हे. क्षेत्र चयनित किया गया है। उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया चयनित क्षेत्र का घनत्व 0.0 है, खुला वन है तथा रिक्त क्षेत्र उपलब्ध है। चयनित क्षेत्र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।

दिनांक -

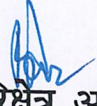

वन परिक्षेत्र अधिकारी
माचकोट


उप वनमण्डलाधिकारी
जगदलपुर उप वनमण्डल जगदलपुर


वनमण्डलाधिकारी
बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

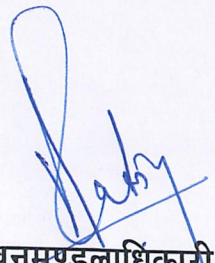
परिक्षेत्र अधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं बी. डी. मानिकपुरी वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र अधिकारी माचकोट प्रमाणित करता हूं कि प्रस्तावित क्षेत्र कलचा ना. व. कक्ष क्रमांक 1142 रकबा 24.863 हे. में से 20.00 हे. के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मौके की आवश्यकता के अनुरूप है तथा इसमें दर्शाये गये विवरण से मैं तकनीकी/वानिकी दृष्टिकोण से सहमत हूं।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
माचकोट

उप वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र

मैं आशीष कुमार कोट्टीवार, उप वनमण्डलाधिकारी जगदलपुर प्रमाणित करता हूं कि प्रस्तावित क्षेत्र कलचा ना. व. कक्ष क्रमांक 1142 रकबा 24.863 हे. में से 20.00 हे. के परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये समस्त तथ्यों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, तथा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाये गये उपचारण के कार्यों का विवरण एवं मात्रा का विवरण मेरे द्वारा मौके पर अवलोकन कर इसे क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप होना पाया, मैं इस परियोजना प्रतिवेदन से सहमत हूं तथा कार्य कराये जाने की अनुशंसा करता हूं।


उप वनमण्डलाधिकारी
जगदलपुर उप वनमण्डल जगदलपुर

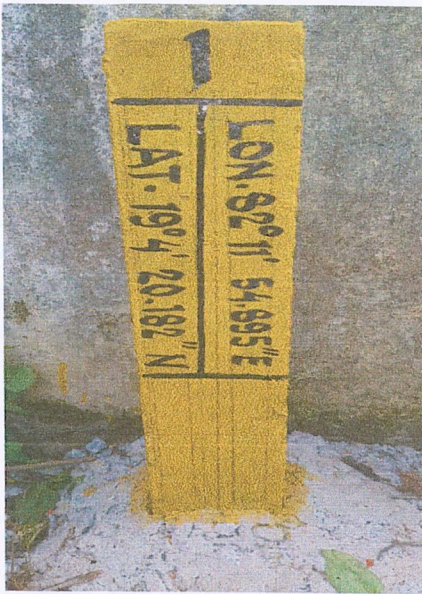
परियोजना द्वारा ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई. पॉलाटेक्निक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण कार्य हेतु रकबा 9.8 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु चयनित क्षेत्र का भू-प्रत्यावर्तन हेतु डी.जी.पी.एस. सर्वे कर को-आर्डिनेट दर्शाते हुए मुनारा/पिलर की स्थापना :-

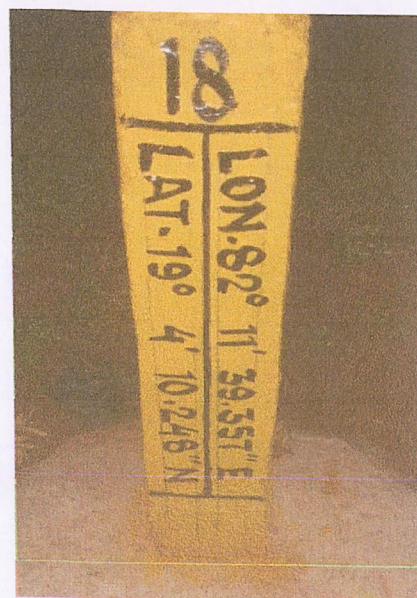
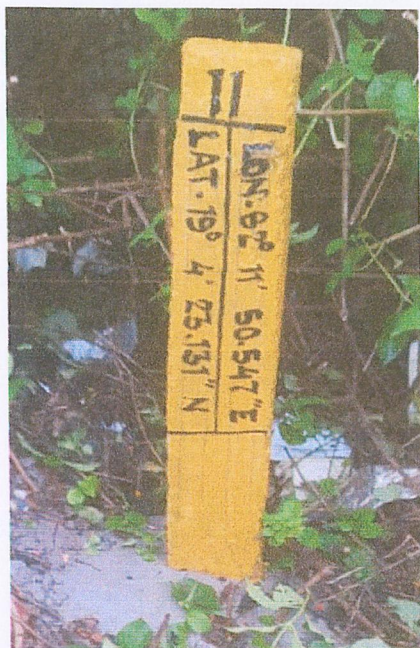
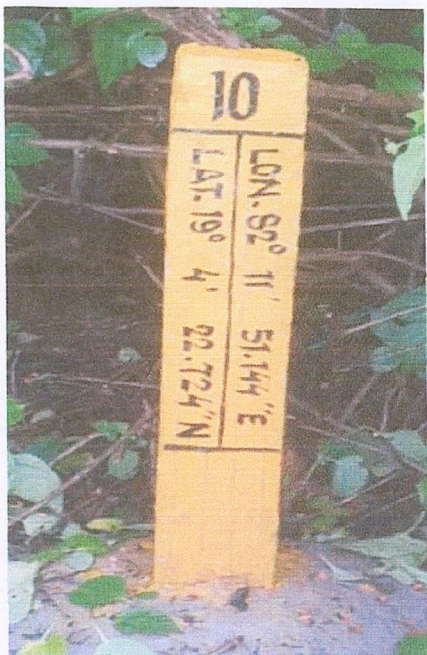
PRIMARY CONTROL POINT (FIXING OF BASE STATION POINT)

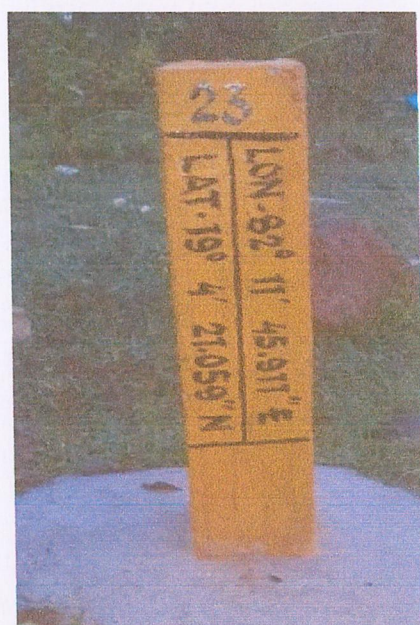
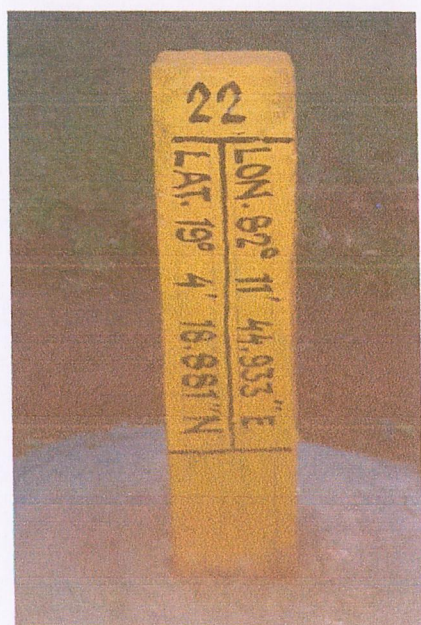
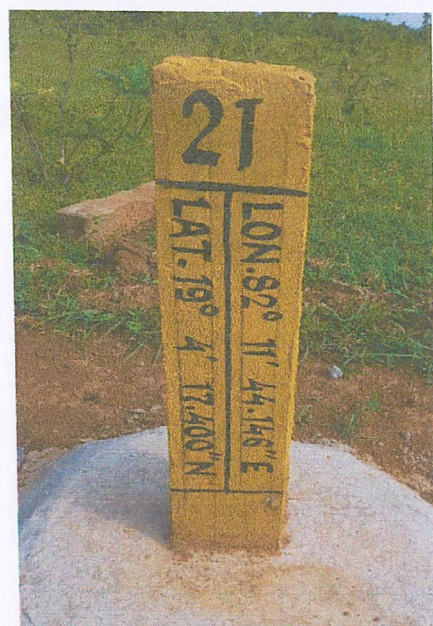
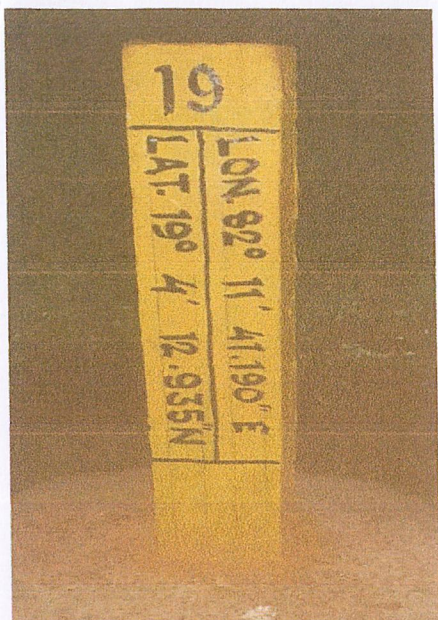
NAME	P.C.P.VILLAGE NAME	LOGITUDE	LATITUDE
GROUND CONTROL POINT 1	Chokawada	82 12' 2.050" E	19 3'33.352" N

SURVEYED GROUND CONTROL POINTS

No.	PILLAR ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	1	82° 11'54.895"E	19 4'
2	2	82° 11' 53.328"	19° 4' 20.182" N
3	3	82° 11'51.533"E	19° 4'18.442"N
4	4	82° 11'50.645"E	19° 4'16.092"N
5	5	82° 11'50.017"E	19 °4'14.806"N
6	6	82 °11'49.335"E	19 °4'11.874"N
7	7	82 °11'49.879"E	19 °4'15.017"N
8	8	82 °11'50.345"E	19 °4'17.793"N
9	9	82 °11'50.781"E	19 °4'20.119"N
10	10	82 °11'51.144"E	19 °4'22.724"N
11	11	82 °11'50.547"E	19 °4'23.131"N
12	12	82 °11'50.160"E	19 °4'20.775"N
13	13	82 °11'49.679"E	19 °4'17.737"N
14	14	82 °11'49.280"E	19 °4'15.355"N
15	15	82 °11'48.676"E	19 °4'12.016"N
16	16	82 °11'48.253"E	19 °4'9.661"N
17	17	82 °11'48.029"E	19 °4'8.213"N
18	18	82 °11'39.357"E	19 °4'10.248"N
19	19	82 °11'48.029"E	19 °4'12.935"N
20	20	82 °11'39.357"E	19 °4'15.316"N
21	21	82 °11'44.146"E	19 °4'17.400"N
22	22	82 °11'44.933"E	19 °4'18.881"N
23	23	82 °11'45.911"E	19 °4'21.059"N
24	24	82 °11'46.945"E	19 °4'23.258"N
25	25	82 °11'47.906"E	19 °4'24.933"N
26	26	82 °11'48.970"E	19 °4'24.235"N







परियोजना द्वारा ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई. पॉलाटेक्निक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण कार्य हेतु रकबा 9.8 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु चयनित क्षेत्र के ग्राम कलचा में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित रकबा 20 हेक्टेयर वनभूमि के डीजीपीएस सर्वे के नक्शे अनुसार मुनारा गाड़ने एवं मुनारा में को-आर्डिनेट दर्शाते हुए मुनारा/पिलर की स्थापना :-

DGPS CO-ORDINATES OF C.A. AREA AT MACHKOTE
GEOGRAPHIC CO-ORDINATE SYSTEM, WGS 1984
PROJECTED CO-ORDINATE SYSTEM, WGS 1984,
UTM ZONE - 44 N
PRIMARY CONTROL POINTS (BASE STATION POINTS)

Point No.	Latitude	Longitude	Description
1	N 19° 05' 59.02"	E82° 06' 24.99"	MUNARA 45
2	N 19° 05' 53.95"	E82° 06' 18.53"	MUNARA 44

SURVEYED GROUND CONTROL POINTS

Point No.	Latitude	Longitude	Description
1	N19° 06' 01.24"	E82° 06' 08.19"	CORNER 1
2	N19° 05' 59.11"	E82° 06' 16.46"	CORNER 2
3	N19° 06' 00.66"	E82° 06' 17.04"	CORNER 3
4	N19° 05' 59.43"	E82° 06' 22.45"	CORNER 4
5	N19° 06' 14.68"	E82° 06' 24.96"	CORNER 5
6	N19° 06' 16.85"	E82° 06' 13.06"	CORNER 6
7	N19° 06' 12.02"	E82° 06' 12.76"	CORNER 7
8	N19° 06' 12.32"	E82° 06' 09.22"	CORNER 8

[Signature]

[Signature]

EXECUTIVE DIRECTOR (NISP)
NMDC IRON & STEEL PLANT
NAGARNAR - 494001 Dist. Bastar (C.G.)

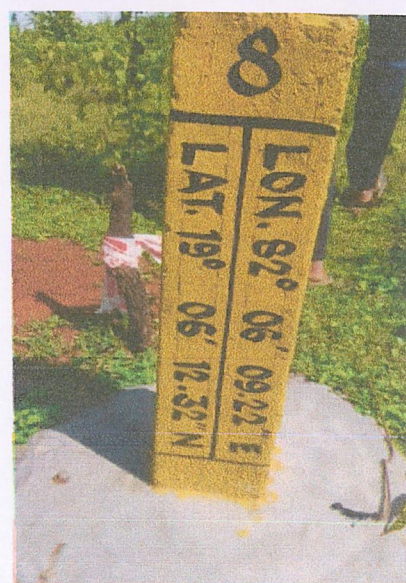
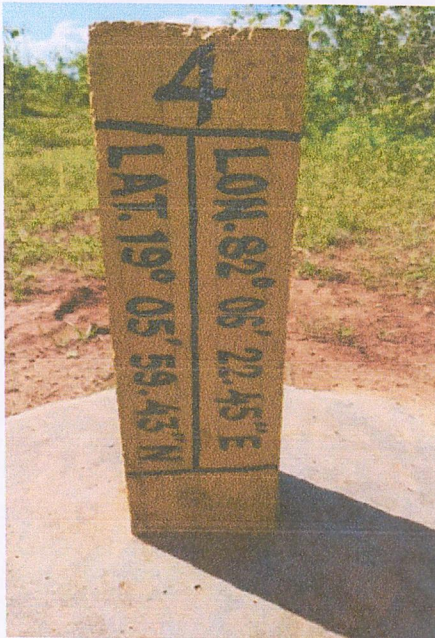
[Signature]

वनमंडलाधिकारी
बस्तर वनमंडल जगदलपुर

[Signature]

वन परिक्षेत्र अधिकारी
माचकोट

उप वनमंडलाधिकारी
जगदलपुर



वन संरक्षण अधिनियम – 1980

के अन्तर्गत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्तावों हेतु आवश्यक चेक लिस्ट

क्र.	अभिलेख विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	आवेदक विभाग का मांग पत्र	आवेदक विभाग
2.	प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक)	वन विभाग
3.	वन क्षेत्र विवरण	आवेदक विभाग
4.	गैर वन क्षेत्र विवरण	आवेदक विभाग
5.	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर	आवेदक विभाग
6.	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप।	आवेदक विभाग
7.	प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (भाग – 1,2,3)	आवेदक विभाग
8.	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप	आवेदक विभाग
9.	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र। (वह दर जो अंतिम रूप से भूमि प्रत्यावर्तन के समय लागू होगी, देय होगी) नये यूनियन बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली के बचत खातों का विवरण संलग्न है।	आवेदक विभाग
10.	न्यूनतम वनक्षेत्र का उपयोगिता प्रमाण पत्र	आवेदक विभाग
11.	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र (जिन प्रकरण में लागू न हो उसके भारत सरकार का परिपत्र लगाकर उल्लेख करें) सिंचाई के प्रकरण में 10,000 हे.तक में राज्य पर्यावरण प्रदूषण मण्डल से स्वीकृति (भारत सरकार, पर्यावरण एवं मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006) इससे अधिक में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से लिया जाना आवश्यक है।	आवेदक विभाग
12.	वृक्ष विदोहन विवरण एवं वृक्षों (प्रपत्र –अ एवं ब' में)	वन विभाग
13.	कास्ट / बेनिफिट एनालिसिस	आवेदक विभाग एवं वन विभाग
14.	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पांचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तान्तरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (संलग्न प्रपत्र में अधिसूचना मय नक्शा प्रस्ताव तथा 3 प्रति में पृथक से वन संरक्षण के हस्ताक्षर एवं सील सहित आवेगा)	आवेदक विभाग
15.	गैर वन क्षेत्र के आस-पास का नक्शा	आवेदक विभाग
16.	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 वार्षिक वृद्धि के साथ 7 वर्षीय मय उपचार मानचित्र, अक्षांश, देशांश, प्रजाति विवरण सहित) जो असिंचित क्षेत्र चयनित होगा उसका वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र पृथक से आवेगा।	वन विभाग
17.	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र।	वन विभाग
18.	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण	वन विभाग
19.	अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण	वन विभाग
20.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही	वन विभाग
21.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र	आवेदक विभाग
22.	कैंचमेंट ट्रीटमेंट प्लान	आवेदक विभाग
23.	रिक्लेमेशन प्लान	आवेदक विभाग
24.	माइनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल माइनिंग प्रकरण में)	आवेदक विभाग
25.	व्यवस्थापन प्लान	आवेदक विभाग

26.	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा	वन विभाग (भाग एक आवेदक विभाग)
27.	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र	आवेदक विभाग
28.	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ - 5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010)	आवेदक विभाग
29.	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में)	वन विभाग
30.	व.स.अ. - 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में	वन विभाग
31.	व.स.अ. - 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में	वन विभाग
32.	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कॉरीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्र/एफ - 5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010))	वन विभाग
33.	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरणों में)	वन विभाग
34.	वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा) (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र F.No.11-9/1998-FC दिनांक 03.08.2009) ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव (Resolution) आवश्यक रूप से संलग्न करें	आवेदक विभाग
35.	राजस्व वन भूमि कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्र. भू-प्र/1317 दिनांक 25.05.2007)	आवेदक विभाग
36.	माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र।	आवेदक विभाग
37.	Clearance under PC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittance to precede 2nd stage clearance (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 7-1/2004 (CAMPA) Meeting 3068 दिनांक 12.05.2011)	वन विभाग
38.	A detailed note on soil productivity or the lack of it (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPC013/2008-BHO/357 दिनांक 24.02.2010)	वन विभाग
39.	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र F.No. 2-1/2003-FC दिनांक 06.01.2011)	आवेदक विभाग
40.	Diversion of large area (more than 500 ha.) of forest land mining and other non - forestry purposes under the forest (conservation) Act 1980- stipulation of additional condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute)	आवेदक विभाग

	(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र F.No. 11-9/1998- FC दिनांक 04.01.2011)	
	राज्य शासन से संबंधित अभिलेख	
41.	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ - 7-22/2009/10-2 दिनांक 31.07.2009)	वन विभाग
42.	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (विशेषकर खनन प्रकरणों में)	वन विभाग
43.	विद्युत लाइन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6-CHC022/2010-BHO/934) दिनांक 24.05.2010)	आवेदक विभाग
44.	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण	वन विभाग
	आन लाईन एंट्री की चेक लिस्ट	आवेदक विभाग एवं वन विभाग
45.	प्रत्यावर्तन हेतु आवेदित रकबा 9.800 हे. वनभूमि एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित रकबा 20.000 हे. वनभूमि के डी.जी.पी.एस. सर्वे के नक्शे अनुसार मुनारा गाड़ने एवं मुनारा में को-आर्डिनेट दर्शाते हुए जानकारी का विवरण	आवेदक विभाग



25/04/22

GM-Security
359
AGM

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर

दूरभाष क्र. 07782-222414, फैक्स- 07782-226820

E-mail : dfobastar@yahoo.co.in

क्र./क.त.अ./ 1759
प्रति, महाप्रबंधक,

जगदलपुर, दिनांक 01/04/2022

एन.एम.डी.सी. नगरनार जगदलपुर

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation act, 1980 proposed for Constrution of ITI , Polytechnic and other associated infra- structures in Village - Chokawada, Tehsil- Jagdalpur , District-Bastar under CSR Activities of NMDC Ltd. , area 9.80 ha. -regarding. पंजीयन क्रमांक— FP/CG/Others/28963/2017

संदर्भ :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छ.ग. रायपुर का पत्र पृ.क्रमांक /भू-प्रबंध/खनिज/331-29/2692 दिनांक 27.10.2021।
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/4477 दिनांक 08.12.2021 , क./4654 दिनांक 30.12.2021 एवं क./885 दिनांक 08.02.2022।

-00-

कृपया संदर्भित पत्र-2 का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र द्वारा बस्तर वनमण्डल अंतर्गत ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई., पॉलीटेक्नीक एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण कार्य हेतु रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रकरण में प्रत्यावर्तन हेतु आवेदित रकबा 9.800 हे. वनभूमि एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित रकबा 20.000 हे. वनभूमि के डी. जी.पी.एस. सर्वे के नक्शे अनुसार मुनारा गाड़ने एवं मुनारा में को-आडिनेट दर्शाते हुए जानकारी निर्धारित चेकलिस्ट 1 से 44 कंडिका के 45 वां कंडिका में समाहित कर पूर्ण प्रस्ताव के.एम.एल. फाईल (साफ्ट कापी) सहित इस कार्यालय में प्रेषित करने हेतु लेख किया गया था। परन्तु पूर्ण प्रस्ताव आज दिनांक तक अप्राप्त है।

उक्त संबंध में दिनांक 29.12.2021 को कमिशनर बस्तर संभाग जगदलपुर द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः प्रकरण में प्रत्यावर्तन हेतु आवेदित रकबा 9.800 हे. वनभूमि एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित रकबा 20.000 हे. वनभूमि के डी.जी.पी.एस. सर्वे के नक्शे अनुसार मुनारा गाड़ने एवं मुनारा में को-आडिनेट दर्शाते हुए जानकारी निर्धारित चेकलिस्ट 1 से 44 कंडिका के 45 वां कंडिका में समाहित कर पूर्ण प्रस्ताव के.एम.एल. फाईल (साफ्ट कापी) सहित इस कार्यालय में प्रेषित करें। ताकि प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल बस्तर जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 01/04/2022

पृ.क्र./क.त.अ./ 1760
प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त जगदलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कमिशनर बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. उप वनमण्डलाधिकारी जगदलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु लेख है कि डी.जी.पी.एस. अंतर्गत निर्मित मुनारों का सत्यापन करें। यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक समस्त मुनारों सही जगह में लगाये गये हैं तथा सही हालत में है। जानकारी निर्धारित प्रपत्र में परिक्षेत्र अधिकारी से प्राप्त कर 3 दिवस के अंदर इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
5. परिक्षेत्र अधिकारी माचकोट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु लेख है कि उपरोक्तानुसार आवेदित रकबा 9.800 हे. वनभूमि एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित रकबा 20.000 हे. वनभूमि के डी.जी.पी.एस. सर्वे के नक्शे अनुसार मुनारा गाड़ने एवं मुनारा में को-आडिनेट दर्शाते हुए जानकारी निर्धारित प्रपत्र में मय प्रमाण पत्र सहित 3 दिवस के अंदर उप वनमण्डलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें। ताकि जानकारी प्रस्ताव में समाहित किया जा सके। मुनारा निर्माण एवं मुनारा गाड़ने का कार्य आवेदक विभाग के व्यय से किया जायेगा। साथ ही वित्तिय वर्ष 2021-22 में वैकल्पिक सिंचित वृक्षारोपण हेतु निर्धारित दर राशि रु. 798897.00 प्रति हे. के मान से प्राक्कलन तैयार कर शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करें।

वनमण्डलाधिकारी